

## खाप पंचायतों में सुधार

### प्रलिस के लयः

[वैकल्पक ववाद समाधान \(ADR\)](#), [जात-आधारत परषिदें](#), [संघरष समाधान](#), [लैंगक असमानता](#), [संवैधानक अधकार](#), [राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधकरण \(1987\)](#), [मध्यसथता और सुलह \(संशोधन\) वधयक, 2021](#), [ADR परणाली](#), [मध्यसथता](#), [मानवाधकार](#), [बेरोजगारी](#), [शकषा](#), [ग्रामीण वकस](#) ।

### मेन्स के लयः

ववाद समाधान में वैकल्पक ववाद समाधान का महत्त्व ।

**स्रोत: ईपीडब्लू**

## चरचा में क्यो?

खाप पंचायतें प्रायः कई कारणों से समाचारों में होती हैं, जनिमें कुछ नेता [बेरोजगारी](#), [शकषा](#) और [ग्रामीण वकस](#) सहत प्रमुख सामाजक और आर्थक मुद्दों के समाधान के लयि प्रगतशील सुधारों की वकालत करते हैं ।

- खाप पंचायतों को [आधुनक बनाने](#) और [वनयमत करने](#) के प्रयास भी कयि जा रहे हैं, तथा बेहतर प्रशासन और जवाबदेही के लयि उन्हें औपचारक [वैकल्पक ववाद समाधान \(ADR\)](#) परणालयों में एकीकृत कयि जा रहा है ।

## खाप पंचायत क्या है?

- खाप पंचायतें मुख्य रूप से [उत्तर भारत](#), [वशेषकर हरयिणा](#) और [उत्तर प्रदेश](#) में [पारंपरक समुदाय-आधारत परषिदें](#) हैं, जो अनौपचारक न्यायक नकयों के रूप में कार्य करती हैं ।
- एक गोत्र या फरि बरिदरी के सभी गोत्र मलिकर खाप पंचायत बनाते हैं । यह पाँच गाँवों की भी हो सकती है और 20-25 गाँवों की भी हो सकती है । जसि कषेत्र में जो कोई गोत्र अधक प्रभावशाली होता है, उसी का उस खाप पंचायत में सबसे अधक दबदबा होता है ।
- [ऐतहासक भूमकः](#) इस परणाली ने ग्रामीण समाजों में [सामाजक व्यवस्था](#) बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमक नभाई, जातपदानुक्रम के भीतर [संघरष समाधान](#) के लयि एक मंच के रूप में कार्य कयि और [प्रथागत मानदंडों](#) को प्राथमकता देते हुए औपचारक कानूनी परणालयों के समानांतर काम कयि ।
- खाप पंचायतों से संबंधत मुद्दे :
  - [पतिसत्तात्मक प्रथाएँ](#): वे अक्सर [लैंगक असमानता](#) से जुड़ी होती हैं, कठोर सामाजक मानदंडों को लागू करती हैं जो महिलाओं की स्वायत्तता को प्रतबंधत करती हैं ।
  - [ऑनर कलगः](#) अंतरजातीय और समान गोत्र ववाद का वरिध करने के लयि [कुख्यात](#), कभी-कभी ऑनर कलगि जैसे चरम मामलों को मंजूरी देना ।
  - [वैधता संबंधी चतिएँ](#): उनके नरिणय अक्सर [संवैधानक अधकारों](#) का उल्लंघन करते हैं तथा [व्यक्तगत स्वतंत्रता](#), [समानता](#) और [गरमि](#) के सदिधांतों के साथ टकराव पैदा करते हैं ।
  - [जात और सामाजक असमानताएँ](#) : जातगत पदानुक्रम को बनाए रखने पर उनका ध्यान भेदभाव और [बहषिकार](#) को मजबूत करता है ।
- [लैंगक गतशीलता](#) और खाप पंचायतों की उभरती भूमकिएँ :
  - महिला [खलाडयों](#) के लयि समर्थन: खापों ने [सफल महिला खलाडयों](#) को [सम्मानत कयि](#) है, जससे महिलाओं में खेल संस्कृतिको बढ़ावा मला है ।
  - [लैंगक न्याय](#): [यौन उत्पीडन के खलाफ 2023](#) के पहलवानों के वरिध का समर्थन कयि, जो लैंगक-संबंधी सकरयिता की ओर एक बदलाव को चहिनत करता है ।
    - उदाहरण के लयि, हरयिणा की सबसे प्रभावशाली खापों में से एक, [महम चौबीसी](#), न्याय, सामाजक परवर्तन को बढ़ावा देने और महिलाओं के मुद्दों को [सुलझाने](#) में बढ़ती भूमक नभा रही है ।

## खाप पंचायत से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- शक्ति 2018, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक नरिणय था, जिसमें ऑनर कलिंग और अंतरजातीय ववाह के मुद्दे के संबध में नरिणय दया था ।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया की ऑनर कलिंग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है तथा ऐसे अपराधों के खलिफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दया ।
- इसने राज्य सरकारों को ऑनर कलिंग को रोकने के लयि सकरयि कदम उठाने का नरिदेश दया, जिसमें वशिष प्रकोष्ठों की स्थापना और अपने परिवारों से खतरे का सामना कर रहे जोड़ों (युगलों) को सुरक्षा प्रदान करना शामिल है ।

## वैकल्पिक ववाध समाधान (ADR) तंत्र क्या है?

### ■ परचय:

- ADR ववाध समाधान की एक गैर-प्रतकिल वधि है जो पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों तक पहुँचने के लयि सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहति करती है ।
- इससे न्यायालयीय भार को कम करने में सहायता प्रापूत होती है तथा संबधति पक्षों को एक संतोषजनक अनुभव प्रापूत होता है ।
- ADR रचनात्मक सौदेबाजी, अंतरनहिति हतियों की पूरति और समाधान का वसितार करने में सकषम बनाता है ।
- ADR की आवश्यकता:
- भारत की न्यायिक प्रणाली लंबति मामलों की बढ़ती संख्या और देरी के कारण अत्यधिक तनाव का सामना कर रही है, जिससे ADR पद्धतियों की आवश्यकता को बल मलित है ।
- ADR गोपनीयता सुनशिचति करता है, लागत प्रभावी है और साथ ही अनुकूलता प्रदान करता है, परिणामस्वरूप रचनात्मक समाधान और बेहतर संबध नरिमति होते हैं ।

### ■ ADR तंत्र के प्रकार:

- मध्यस्थता : ववाधों का समाधान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा कया जाता है जिसका नरिणय बाध्यकारी होता है तथा इसमें सीमति न्यायिक हस्तकषेप की गुंजाइश होती है ।
- समझौता: एक तीसरा पक्ष ववाधति पक्षों को पारस्परिक रूप से संतोषजनक समझौते तक पहुँचने में मदद करता है, जिसमें सफिराशियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होता है ।
- सुलह: मध्यस्थ पक्षों के बीच संवाद स्थापति करने तथा ववाधों को सौहार्दपूर्ण ढंग से नपिटाने में मदद करता है, तथा नरयितरण पक्षों के पास छोड़ देता है ।
- वारता: एक गैर-बाध्यकारी पद्धत जिसमें पक्षकार तीसरे पक्ष की भागीदारी के बनिा ववाधों को सुलझाने के लयि सीधे बातचीत करते हैं ।

### ■ भारत में ADR की स्थिति:

- वैधानिक समर्थन: राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण (1987) और मध्यस्थता एवं सुलह अधनियम (1996) अदालत के बाहर समझौते को बढ़ावा देते हैं ।
- दलील-सौदेबाजी: पूरव-परीक्षण वारता के लयि दंड प्रक्रया संहति (संशोधन) अधनियम, 2005 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहति) में प्रसतुत कया गया ।
- लोक अदालतें: अनौपचारिक जन अदालतें जो कानूनी पेचीदगयियों के बनिा ववाधों का समाधान करती हैं ।
- हालया घटनाक्रम: मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) वधियक (2021) दुरुपयोग को संबोधति करता है, और मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) वधियक, 2021 परिवरतनों की सफिराशि करता है ।



## खाप पंचायत को औपचारिक ADR का हिससा बनाने के लिये क्या किया जा सकता है?

- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को बढ़ावा देना**: संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप ढाँचे के भीतर मध्यस्थ भूमिकाओं को वैध बनाकर **खाप पंचायतों** को औपचारिक **ADR प्रणाली** में एकीकृत किया जा सकता है।
  - खाप नेताओं को **मध्यस्थता** और **पंचनरिणय तकनीकों** पर **प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है** ताकि विवादों के नष्पिकष समाधान हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि की जा सके।
- **वधिक वनियमन**: खाप पंचायत की गतिविधियों के **दायरे और सीमाओं** को परभाषित करने के लिये कानून तैयार कर या सुनिश्चित किया जा सकता है कि इनके **नरिणय भारतीय कानूनों** और **मानवाधिकारों** के अनुरूप हों।
  - उनके **कार्यों की नगिरानी के लिये नरिषिक्षण तत्र** स्थापित किये जाने चाहिये तथा ऑनर कलिंग या जबरन विवाह रद्द करने जैसी असंवैधानिक प्रथाओं पर रोक लगाई जानी चाहिये।
- **वकिस पर ध्यान केंद्रित करना**: कुछ खाप नेता प्रगतशील रुख का समर्थन करते हैं तथा **बेरोजगारी, शकिसा और ग्रामीण वकिस** जैसी सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना चाहते हैं।
  - **खाप पंचायतों** को आधुनिक बनाने या वनियमित करने के प्रयास जारी हैं, जसमें उन्हें औपचारिक विवाद समाधान प्रणालियों में एकीकृत करना भी शामिल है।
- **जागरूकता और जवाबदेही**: संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रणाली के महत्त्व पर समुदायों को शकिसित करने के लिये **सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये**।
  - खाप पंचायतों को उन कार्यों के लिये **जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये** जो न्याय अथवा समानता की भावना को कमजोर करते हैं।
- **औपचारिक संस्थाओं के साथ सहयोग**: समावेशी नरिणय लेने वाले **ढाँचे का नरिमाण करने** के लिये खाप पंचायतों और स्थानीय शासन नकियों के बीच साझेदारी को सरल बनाया जा सकता है।
  - यह सुनिश्चित करने के लिये कनरिणय कानूनी रूप से सही हैं, इन पंचायतों में **न्यायपालिका के प्रतनधियों** को शामिल किया जा सकता है।

## नष्पिकष

परंपरागत होने के बावजूद खाप पंचायतों को वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करने के लिये विकसित किया जाना चाहिये। अपनी प्रथाओं को संवैधानिक मूल्यों के साथ जोड़कर, सामुदायिक विकास को बढ़ावा देकर तथा सुधारों को अपनाकर, वे ग्रामीण शासन में सकारात्मक योगदान देते हुए सांस्कृतिक महत्त्व को कायम रख सकते हैं। खापों को ADR निकायों में परिवर्तित करने के लिये कानूनी वनियमन, सामुदायिक जागरूकता की आवश्यकता है तथा समाज में न्याय, समता एवं सद्भाव सुनिश्चित करने हेतु इनकी नगिरानी भी आवश्यक होगी।

#### दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के क्या लाभ हैं? खाप पंचायतों को ADR प्रणाली में शामिल करने से भारत की न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करने में कैसे मदद मिलेगी?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

### ??????:

प्रश्न: राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2013)

1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को नशुलक एवं सकषम वधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
2. यह देश-भर में वधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य वधिक सेवा प्राधिकरणों को नरिदेश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

### ??????:

प्रश्न. खाप पंचायतें संवधिनेतर प्राधिकरणों के तौर पर प्रकार्य करने, अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोटिमें आने वाले नरिणयों को देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थतिको ठीक करने के लिये वधिनमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजयि। (2015)